

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग
चिकित्सा शिक्षा भवन पिन स्कवाईर मॉल के पास गोविन्द मार्ग जयपुर
ई-मेल adddir.medicaledu@rajasthan.

क्रमांक: F.7 (SR/AP)/त्याग पत्र/DME/ACAD/2024-07610-Part File(2)

दिनांक:

आदेश

चेयरमैन डीएम/एमसीएच/एमडी/एमएस/ अन्य अभ्यर्थी आवंटन बोर्ड 2025 के द्वारा राज्य के राजकीय एवं राजसेस के समस्त चिकित्सा महाविद्यालयों में सीनियर रेजिडेंट्स के आवंटन हेतु जारी की गई विज्ञप्ति एवं वर्तमान में चल रही एस.आर. आवंटन की समस्त प्रक्रिया को निरस्त किया जाता है।

(इकबाल खान)
आयुक्त
चिकित्सा शिक्षा निदेशालय

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
2. निजी सहायक, आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग जयपुर।
3. संयुक्त शासन-सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर।
4. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
5. अति निदेशक (अकादमिक), चिकित्सा शिक्षा निदेशालय/राजसेस।

आयुक्त
चिकित्सा शिक्षा निदेशालय

